न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 264/05 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2005/00102

उनवान

1. राम सिंह पुत्र शिवजी जाति काछी निवासी एकटा तहसील भरतपुर (मृतक)
   - 1/1. मुस0 तलफा वेवा राम सिंह
   - 1/2. नवल सिंह
   - 1/3. लक्ष्मण
   - 1/4. मोहन सिंह
   - 1/5. मनोहर

   (1/2 से 1/5 तक) पुत्र राम सिंह

   - 1/6. अनारो पुत्री राम सिंह

   (1/1 से 1/6 तक) जाति काछी नि0 एकटा तहसील व जिला भरतपुर

........................अपीलांट।

बनाम

1. गोरधन पुत्र बुद्धा (मृतक)
   - 1/1. मुस0 भगवन्ती वेवा गोरधन (मृतक)
   - 1/2. उदय सिंह पुत्र गोरधन
   - 1/3. मान सिंह पुत्र गोरधन (मृतक)
   - 1/3/1. अंगूरी वेवा मान सिंह
   - 1/3/2. मुन्नी पुत्री स्व0 मान सिंह
   - 1/3/3. चन्द्रकेश पुत्र मान सिंह

   (उपरोक्त) जाति काछी निवासी एकटा तहसील भरतपुर।

   - 1/3/4. सुमन
   - 1/3/5. कृष्णा
   - 1/3/6. पारवती

   (1/3/4 से 1/3/6 तक) पुत्री मान सिंह नाबालिग वरवली माता अंगूरी वेवा मान सिंह जाति काछी निवासी एकटा तहसील भरतपुर।

   - 1/3/7. मनोज पुत्र स्व0 मान सिंह नाबालिग बरवली माता अंगूरी वेवा मान सिंह जाति काछी निवासी एकटा तहसील भरतपुर।
   - 1/4. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गोरधन
   - 1/5. भूदेवी पुत्री स्व0 गोरधन
   - 1/6. शारद पुत्री स्व0 गोरधन
2. अमर सिंह
3. छत्तर सिंह

(2 व 3) पिसरान भागीरथ

(1/4 से 3 तक) जाति काछी नि0 एकटा तहसील व जिला भरतपुर

.... असल रेस्पोंडेंट।

4. रेशम पुत्री शिवली जाति काछी निवासी एकटा तहसील भरतपुर (मृतक)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4/1. धनीराम
4/2. तेज सिंह
4/3. सत्तो
4/4. बीरेश
4/5. पपेश
} पुत्रीयान रेशम
4/6. श्रीमती पुत्री रेशम
4/7. लोहरा पुत्री रेशम
4/8. गीता पुत्री रेशम
4/9. ग्यासो पुत्री रेशम
} जाति काछी निवासी एकटा तहसील व जिला भरतपुर

5. कोका पुत्री शिवली
6. रामदेई (मृतक)
   6/1. राजेन्द्र पुत्र रामदेई
   6/2. प्रताप पुत्र रामदेई
   6/3. भगवती पुत्री रामदेई
   6/4. रामा पुत्री रामदेई
   } जाति काछी निवासी एकटा तहसील व जिला भरतपुर।
7. लहरकौर पुत्री शिवली

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 11.11.2005 मि.नं. 401/02 उनवानी गोरधन बनाम शिवली।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री कुलदीप सिंह व पुष्पेन्द्र शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित गत खसरा नम्बर 273 मिन रकवा 03 बीघा 5 विस्वा जिसकी मैट्रिक प्रणाली में माप 0.52 है0 होती है। हाल बन्दोबस्त ने इसका नवीन खसरा नम्बर 436/0.35 है0 कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर रिकार्ड में रकवा गत के मुकाबले 0.17 है0 कम दर्शाया है। जबकि मौके पर रकवा पूरा है। प्रतिवादी अपीलाण्ट के गत आराजी खसरा नम्बर 273 मिन रकवा 01 बीघा का खातेदार था जिसकी मैट्रिक प्रणाली में माप 0.16 है0 होती है। परन्तु उसने बन्दोबस्त विभाग से साज कर नवीन खसरा नम्बर 458/0.37 कायम कराकर गत के मुकाबले रिकार्ड में रकवा 0.21 है0 वेशी दर्ज करा लिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार रिकार्ड की कमी वेशी को सही करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। खसरा नम्बर 273 मिन पूर्व में 4 बीघा 5 विस्वा का था जो अपीलाण्ट के बाबा परमा की खुदकाश्त खातेदारी का था। रैस्पो0 असल के नाम 2 बीघा था जो बाद में गलत तरीके से बिना किसी आदेश के 3 बीघा 5 विस्वा कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट बंदोबस्त से पूर्व 2 बीघा 6 विस्वा पर काबिज थे इसी अनुरूप काबिज होने के कारण अपीलाण्ट की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 458/37 एयर द्रर्ज किया गया। जिसमें डौल मैड पुरानी कायम है। रैस्पो0 असल का कब्जा कभी 3 बीघा 5 विस्वा भूमि पर नहीं रहा। ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 असल का दावा डिक्री किये जाने में अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड के संबंध में तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और महज अपीलाण्ट के मौखिक कथनो के आधार पर दावा डिक्री कर दिया। विवादित आराजी पर आज भी अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना कोई बयान नहीं कराया ना ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। दो शपथ पत्र दिनांक 07.04.2004 के हैं किन्तु उक्त दिनांक की आदेशिका में उक्त शपथ पत्रो का कोई उल्लेख नहीं किया। आदेशिका दिनांक 08.04.2005 को साक्ष्य वादी बंद कर दी, कोई साक्ष्य नहीं हुयी एवं ना ही जिरह का मौका ही मिला अतः शपथ पत्रो का कोई औचित्य ही नहीं रहा। अपीलाण्ट ने घोषणा का दावा भी कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से 3 बीघा 5 विस्वा माना जबकि 2 बीघा 5 विस्वा होता है। परमा से रैस्पो0 का कोई संबंध नहीं है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2015 पेज 385, 1993 पेज

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

246 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप, तनकीवार तार्किक है। अधीनस्थ न्यायालय रकवा कमी वेशी का दावा किया। बन्दोबस्त विभाग ने नवीन खसरा नम्बर बनाते हुये रैस्पो0 को साविक रकवे से 0.17 है0 कम दिया। जबकि अपीलाण्ट के खसरा नम्बर में 0.21 है0 बढा दिया। अपीलाण्ट के बाबा का नाम परमा हो ऐसा कोई दस्तावेजी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। अपीलाण्ट की आराजी 01 बीघा है। जिसे बन्दोबस्त विभाग ने गलत तरीके से 0.21 है0 ज्यादा कर दिया। राजस्व रिकार्ड से सारे तथ्य साबित होते हैं। अपीलाण्ट ने अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से दावा डिक्री किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित छः तनकीयॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01 :– जमाबन्दी संवत 1992 के अनुसार गत खसरा नम्बर 273 मिन पूर्व में 4 बीघा 5 विस्वा का था जिसमें नाम बतौर मालिक शिवली तथा नाम बतौर कृषक परमा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2016 में खसरा नम्बर 273 रकवा 2 बीघा में नाम भूमिधारी में शिवली तथा खुदकाश्त परमा बल्द टुण्डा व खुदकाश्त बुद्धा बल्द जवाली अंकित है। मैट्रिक प्रणाली की माप अनुसार 02 बीघा 05 विस्वा के 0.37 है0 होते हैं ना कि 0.52 हैक्टेयर। जमाबन्दी संवत 2017–20 में खसरा नम्बर 273, 2 बीघा से 01 बीघा अपीलाण्ट के पिता के नाम कैसे कर दिया एवं इसी प्रकार वादीगण रैस्पो0 के पिता बुद्धा के नाम 2 बीघा 5 विस्वा के स्थान पर 3 बीघा 5 विस्वा कैसे कर दिया, कोई दस्तावेजी आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही उभयपक्ष द्वारा ही प्रस्तुत किया है। बुद्धा वादीगण रैस्पो0 के पिता/पूर्वज थे। मुताबिक सजरा टुण्डा के पुत्र हरचन्द व परमा थे। हरचन्द का पुत्र अतिराज है एवं परमा का कोई वारिस सजरा में नहीं है। अतः मुताबिक सजरा परमा प्रतिवादी अपीलाण्ट के ही बाबा होते हैं। बुद्धा के पिता का नाम मुताबिक सजरा जवाली था। इस प्रकार वादी रैस्पो0 का परमा की आराजी से कोई संबंध नहीं रह जाता है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष परमा की खुदकाश्त खातेदारी में रहा है। रैस्पो0 असल के पूर्वजो का नाम पूर्व में 2 बीघा पर था जो बाद में गलत तरीके से बिना किसी आदेश के 3 बीघा 5 विस्वा कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट के पूर्वज बंदोबस्त से पूर्व 2 बीघा 6 विस्वा पर काबिज थे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इसी अनुरूप काबिज होने के कारण अपीलाण्ट की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 458/0.37 है0 दर्ज किया गया जो सही है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है। इसके अलावा प्रकरण में वादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु उक्त शपथ पत्रो का आदेशिका में कही भी उल्लेख नहीं है। जिरह भी नहीं हुयी। अतः उक्त शपथ पत्र WASTE PAPER की संज्ञा में आते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या करते हुये एवं वादी रैस्पो0 के मौखिक कथनो के आधार पर तनकी वहक वादी रैस्पो0 तय की है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं रहती है। अतः तनकी वहक प्रतिवादी अपीलाण्ट विरूद्ध वादी रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

7. तनकी संख्या 2 लगायत 5 – तनकी संख्या एक के निर्णय से प्रभावित होती हैं एवं इस बाबत् तनकी संख्या 01 में पूर्ण विवेचना की जा चुकी है। अतः तनकी संख्या 01 के निर्णयनुसार यह तनकी भी प्रतिवादी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. दादरसी – समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। प्रतिवादी रैस्पो0 के पक्ष में कोई तनकीयात नहीं पायी गयी है। अतः वादी रैस्पो0 हाल खसरा नम्बर 436/0.35 के स्थान पर 436/0.52 पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं होते हैं एवं ना ही प्रतिवादी अपीलाण्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2005 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर